# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

**आदेश पत्रक ता. 02.08.2025**

**जिला - गिरिडीह केस नं. .....55/2025** (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत)

**सहदेव साव -बनाम- भोला साव वगैरह**

(भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 4)

| आदेश का क्रमांक एवं दिनांक | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **(9). 02.08.2025** | आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, निमियांघाट को निदेशित किया गया। अंचल कार्यालय, डुमरी के पत्रांक 416 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में स्थलीय एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वादगत भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया। अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया।<br>**— वादगत भूमि की विवरणी —**<br>**मौजा : रोशनाटुण्डा, थाना नं० 127, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1681, रकवाः 17 डी० के मध्ये 05 डी०**<br>अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि मौजाः रोशनाटुण्डा, थाना नं० 127, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1681, रकवाः 17 डी० के मध्ये 05 डी० भूमि रैयती खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान प्रथम पक्ष के परदादा धनु कान्दु के नाम पर दर्ज है। वर्तमान में ऑनलाईन जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 154/1 पर दर्ज है एवं लगान रसीद निर्गत है। इनके द्वारा भूमि पर खतियानी हिस्से के आधार पर दावा किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भी उक्त भूमि पर खतियानी वंशज होने के नाते खतियानी हिस्से के आधार पर दावा किया जा रहा है। पूर्व में उक्त भूमि का बंटवारा ग्रामीण स्तर पर हो चुका है साथ हीं थाना दिवस केश नं० 40/2016–17 में चले मामले में उभय पक्षों को पूर्व के बंटवारा के अनुसार रहने को कहा गया था। उभय पक्ष पूर्व में हुए बंटवारा को मानने को तैयार नहीं हैं। वर्तमान में जॉच के क्रम में पाया कि उभय पक्षकारों के बीच में मामला सिविल न्यायालय में सूट सं० 37/2022 के तहत विचाराधीन है। स्थल जाँच में पाया कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्लॉट पर अबुआ आवास के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त प्लॉट वर्तमान में विवादित है। उभय | |

पक्षकारों के बीच विधि–व्यवस्था बिगड़ने की संभावना प्रतीत होती है।

इस वाद में निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कारणपृच्छा तथा दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।

**—— विचारण एवं आदेश ——**

इस वाद में सुनवाई के दौरान उपस्थित उभय पक्षकार तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि रैयति खाते की है। उभय पक्षकार खतियानी रैयत के वंशजों में से हैं तथा इनके बीच खतियानी भूमि को लेकर हक–हिस्से एवं बंटवारा से संबंधित मामला बनता है। उभय पक्षकारों के बीच पहले से हीं उक्त भूमि के संबंध में वाद माननीय सिविल न्यायालय, गिरिडीह (Civil Judge, Senior Division, I, GIRIDIH) में वाद संख्या (O.S.) 37/2022 विचाराधीन है। ऐसे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस वादगत भूमि के संबंध में कोई विधिक आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं होगा। उभय पक्ष माननीय न्यायालय के फैसले का प्रतीक्षा करें तथा वादगत भूमि पर विधि–व्यवस्था शांत बनाए रखें।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(4) के तहत इस वाद में सुनवाई हेतु आज अंतिम तिथि होने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

02/08/2025

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

02/08/2025

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Ashutosh Thakur
Date: 2025.08.21 13:01:04 +05:30
Location: 192.168.0.107